इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198] भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 जुलाई 2024—आषाढ़ 20, शक 1946

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2024

अधि. क्र. 5—1884923—2024—अठारह—1.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 86 के साथ पठित धारा 355 की उपधारा (2) के खण्ड (चार) के उप—खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 16 में उप—नियम (2) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम जोड़े जाएं, अर्थात्:—

"(3) सहायक यंत्री (सिविल), सहायक यंत्री (विद्युत) एवं सहायक यंत्री (मैकेनिकल) तथा उपयंत्री (सिविल), उपयंत्री (विद्युत) एवं उपयंत्री (मैकेनिकल) के पृथक—पृथक पदों के लिए पृथक—पृथक पदक्रम सूचियां तैयार की जाएंगी।

(4) उपरोक्त भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार उपयंत्री (विद्युत) की पदोन्नति सहायक यंत्री (विद्युत) के पदों पर एवं उपयंत्री (मैकेनिकल) की पदोन्नति सहायक यंत्री (मैकेनिकल) के पदों पर की जावेगी।

(5) कार्यपालन यंत्री के पदों पर पदोन्नति सहायक यंत्री के संवर्ग से की जायेगी, सहायक यंत्री की वरिष्ठता सूची के लिए सहायक यंत्री (सिविल), सहायक यंत्री (विद्युत) तथा सहायक यंत्री (मैकेनिकल) की वरिष्ठता के आधार पर संयुक्त पदक्रम सूची तैयार की जाएगी।"

2. अनुसूची–दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:–

अनुसूची–दो
(नियम 06 देखिए)
भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता		अन्य अस्थाई (तदर्थ) सेवाओं से स्थानांतरण	अभ्युक्तियां
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रमुख अभियंता	1	–	100 प्रतिशत		
2	मुख्य अभियंता	5	–	100 प्रतिशत		
3	अधीक्षण यंत्री	24	–	100 प्रतिशत		
4	कार्यपालन यंत्री	50	–	100 प्रतिशत		
5	सहायक यंत्री (सिविल)	142	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत*		*33 प्रतिशत डिप्लोमाधारक उपयंत्रियों में से, 13 प्रतिशत उन उपयंत्रियों में से, जिन्होंने सेवा के दौरान अभियांत्रिकी उपाधि प्राप्त की है अथवा जो सेवा में पदग्रहण के पूर्व इंजीनियरिंग उपाधि रखते हैं तथा 4 प्रतिशत मानचित्रकार में से।
	सहायक यंत्री (इलेक्ट्रिकल)	13				
	सहायक यंत्री (मैकेनिकल)	03				
6	उपयंत्री (सिविल)	588	95 प्रतिशत	5 प्रतिशत		ऊपर यथा उल्लिखित पद पर 5 वर्ष की सेवा की पूर्णता के पश्चात् डिप्लोमा/उपाधि धारक (प्रारूपकार/सहायक प्रारूपकार, ट्रेसर/टाइम कीपर) में से 5 प्रतिशत।
	उपयंत्री (इलेक्ट्रिकल)	111	100 प्रतिशत	–		–तदैव–
	उपयंत्री (मैकेनिकल)	22	100 प्रतिशत	–		–तदैव–

Noti. No. 5-884973-2024-XVIII-1, In exercise of the Powers conferred by sub-sections (1) and sub-clause (a) and (b) of clause (iv) of sub-section (2) of Section 355 read with section 86 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh State Urban Engineering Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules 2015, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

(1) In rule 16, after sub-rule (2), the following sub rules shall be added, namely: -

"(3) for the posts of Assistant Engineer (Civil), Assistant Engineer (Electrical) and Assistant Engineer (Mechanical) and Sub-Engineer (Civil), Sub-Engineer (Electrical) and Sub-Engineer (Mechanical) separate gradation lists shall be prepared.

(4) The promotion of Sub-Engineer (Electrical) on the posts of Assistant Engineer (Electrical) and the promotion of Sub-Engineer (Mechanical) on the posts of Assistant Engineer (Mechanical) shall be done as per the provisions of the above recruitment rules.

(5) Promotion to the posts of Executive Engineer shall be made from the cadre of Assistant Engineer. For Seniority of Assistant Engineer, a combined gradation list shall be prepared on the basis of seniority of Assistant Engineer (Civil), Assistant Engineer (Electrical) and Assistant Engineer (Mechanical)."

2. For Schedule-II, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE II
(See rule 6)
Method of Recruitment

S.No.	Name of the post	Total number of Duty Posts	Percentage of the number of duty Post be filled		Transfer from other temporary (adhoc) services	Remarks
			By Direct Recruitment	By Promotion		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Engineer- in-Chief	1	-	100 percent		
2	Chief Engineer	5	-	100 percent		
3	Superintendent Engineer	24	-	100 percent		
4	Executive Engineer	50	-	100 percent		

5	Assistant Engineer (Civil)	142	50 percent	50 percent *	*33 percent from amongst the diploma holder Sub-Engineer, 13 percent from amongst the Sub-Engineers who have obtained Engineering Degree during his service or possesses Engineering Degree prior to their joining in the service and 4 percent from amongst the Draughtsman.
	Assistant Engineer (Electrical)	13			
	Assistant Engineer (Mechanical)	03			
6	Sub Engineer (Civil)	588	95 percent	5 percent	5 percent Diploma/ Degree holder (Draftsman/Assistant Draftsman/Tracer/Timekeeper) After completion of 5 years service on the post as mentioned above.
	Sub Engineer (Electrical)	111	100 percent	-	--do--
	Sub Engineer (Mechanical)	22	100 percent	-	--do--"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.